न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 13/2014

पन्ना लाल धोबी, सरपंच ग्राम पंचायत, जालिया द्वितीय।

—— प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर व अन्य

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

:– निर्णय :–

दिनांक 01.06.2016

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित भूमियां खसरा न0 4349 रकबा 04–10–00 व 4351 रकबा 05–18–00 बीघा ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2041 एवं इसके बाद बनी रोटेशन जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 व 2046 से 2049 के खाता सं0 1 में मिल्कियत सरकार के नाम से दर्ज चली आती रही है। इसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी महोदय, ब्यावर के आदेश क्रमांक राजस्व/1554/57 दिनांक 03.03.1989 से खसरा न0 4349 मिन रकबा 02–02–00 बीघा व 4351 रकबा 05–18–00 ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय को आबादी के लिए दे दी गई जिसका अमल भी नामान्तकरण सं0 1173 दिनांक 29.09.1989 से ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 के खाता सं0 1 में कर दिया गया। लेकिन इसके आगे की बनी रोटेशन जमाबंदीयों में पुनः इन्हें सरकारी खाते लगा दी गई। अतः निवेदन है कि खसरा न0 5349 के स्थान पर 4349 दर्ज करवाया जावे तथा खसरा न0 4349 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा न0 4351 रकबा 05–18–00 बीघा ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय की आबादी के खाते में दर्ज करवाया जावे।

आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार बिजयनगर से रिपोर्ट तलब की गई तो उन्होंनें अवगत कराया कि तफावत हुई है। जवाब में बताया कि खसरा न0 4349/1 रकबा 02–02–00 बीघा आबादी दर्ज है लेकिन बटा नम्बर तरमीम नहीं है। खसरा न0 5349 रकबा 02–01–00 बीघा ग्राम जालिया द्वितीय से सूतीखेडा कच्ची पगडंडी पर स्थित है जो वर्किगं जमाबंदी के अनुसार भैरू वल्द रामा के नाम दर्ज थी। वर्तमान में उसके वारिसान के नाम दर्ज चली आती है और वे इस पर खेती करते हैं।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मुख्यालय जालिया द्वितीय पर पेश हुआ। पक्षकारान उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2041 एवं 2042 से 2045 व 2046 से 2049 तक की जमाबंदीयों में अराजी खसरा न0 4349 रकबा 04–14–10 व 4351 रकबा 05–18–00 बीघा दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2046 से 2049 के खाता सं0 1 में नामान्तकरण सं0 1173 से 4349 मिन रकबा 02–02–00 बीघा तथा 4351 रकबा 05–18–00 बीघा आबादी में ग्राम पंचायत के नाम स्वीकार की गई। इसके बाद जमाब्रदी सं0 2050 से 2053 में रोटेशन जमाबंदीयां कायम करते समय सहवन से तफावत होना पाया जाता है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और यह आदेश पारित किये जाते हैं कि ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के खाता सं0 1 में हुई तफावत को दुरूस्त करते हुए खसरा नं0 5349 मिन रकबा 02–02–'00 बीघा के स्थान पर खसरा न0 4349 रकबा 02–02–00 बीघा

दर्ज किया जावे तथा खसरा न0 4349 मिन रकबा 02–02–00 एवं 4351 रकबा 05–18–00 बीघा को ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय की आबादी के खाते में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 12:35:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: